

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या-पी0पी0एम0- 36/2016-

2950

/कृ0, पटना, दिनांक 25/7/2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+)अनौपचारिक
रूप से परामर्शित।

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)

विषय :

राज्य योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में सोनपुर मेला के आयोजन में 20.00 लाख (बीस लाख) रुपये मात्र एवं राजगीर महोत्सव के लिए 12.00 लाख (बारह लाख) रुपये कुल 32.00 लाख (बत्तीस लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

राज्य योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18 में सोनपुर मेला के आयोजन में 20.00 लाख (बीस लाख) रुपये मात्र एवं राजगीर महोत्सव के लिए 12.00 लाख (बारह लाख) रुपये कुल 32.00 लाख (बत्तीस लाख) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. सोनपुर मेला एवं राजगीर महोत्सव में कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष कृषि प्रदर्शनी का आयोजन क्रमशः जिला कृषि पदाधिकारी, सारण तथा जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा समय-समय पर विभागीय निदेशों के अनुपालन में किया जाता है। उक्त प्रदर्शनी में राज्य के सभी जिलों के किसान भाग लेते हैं। प्रदर्शनी के आयोजन के उपरान्त व्यय की गई राशि के अभिश्रवों/विपत्रों की बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभाग द्वारा गठित समिति से जाँच कराकर राशि की भुगतान की जाती है।

3. सोनपुर मेला हेतु स्वीकृत राशि 20.00 लाख (बीस लाख) के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 16.60 लाख (सोलह लाख साठ हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड-01-2401001090106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन में उपबंधित राशि 166.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

सोनपुर मेला हेतु स्वीकृत राशि 20.00 लाख(बीस लाख) के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 3.20 लाख (तीन लाख बीस हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड-01-2401007890106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन में उपबंधित राशि 32.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

सोनपुर मेला हेतु स्वीकृत राशि 20.00 लाख(बीस लाख) के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 0.20 लाख (बीस हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401007960134 विषय शीर्ष 0134.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन में उपबंधित राशि 2.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

4. सोनपुर मेला की स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सारण(छपरा) होंगे। राशि की निकासी जिला कोषागार, छपरा से की जायेगी।

5. राजगीर महोत्सव हेतु स्वीकृत राशि 12.00 लाख(बारह लाख) रुपये के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लिए 9.96 लाख (नौ लाख छियानवें हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401001090106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन में उपबंधित राशि 166.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

राजगीर महोत्सव हेतु स्वीकृत राशि 12.00 लाख(बारह लाख) रुपये के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 1.92 लाख (एक लाख बेरानवें हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401007890106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन में उपबंधित राशि 32.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

राजगीर महोत्सव हेतु स्वीकृत राशि 12.00 लाख(बारह लाख) रुपये के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 0.12 लाख (बारह हजार) रुपये की निकासी मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401007960134 विषय शीर्ष 0134.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन में उपबंधित राशि 2.00 लाख रुपये से विकलनीय होगा।

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	सोनपुर के लिए स्वीकृत राशि	राजगीर के लिए स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401001090106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	166.00	16.60	9.96
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401007890106 विषय शीर्ष 0106.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	32.00	3.20	1.92
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष 0134-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोट, नई योजना, विपत्र कोड- 01-2401007960134 विषय शीर्ष 0134.26.01 विज्ञापन और प्रकाशन	2.00	0.20	0.12
कुल योग	200.00	20.00	12.00

6. राजगीर मेला की स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा होंगे। राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा से की जायेगी।

7. इस योजना के लिए कृषि निदेशक, बिहार, पटना सर्वोच्च नियंत्रि पदाधिकारी होंगे।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

2/11

9. वित्त विभाग का संकल्प- 2199 दिनांक: 24.03.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

10. राज्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- पी0पी0एम0-36/2016 के पृ0सं0- 38/टि. पर दिनांक- 21.07.2017 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,




(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या- पी0पी0एम0- 36/2016- 2950 /कृ0, पटना, दिनांक 25/7/ 2017


प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, छपरा एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव।

ज्ञाप संख्या- पी0पी0एम0- 36/2016- 2950 /कृ0, पटना, दिनांक 25/7/ 2017

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी.पी.एम., कृषि विभाग, बिहार, पटना/ उप निदेशक(शष्प), सूचना, पटना/ जिला कृषि पदाधिकारी, सारण(छपरा)/जिला कृषि पदाधिकारी, नालन्दा/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव।

2/11